उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–693–औ0सं0 / 2019–26 (2)ए0एस0 / 06

दिनांक 22 मार्च, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

स्पीड पोस्ट
अत्यावश्यक

विषयः– आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी निस्तारण निगमों एवं केस्कों में विद्युत उपकेन्द्रों का परिचलन, लाइनों के अनुरक्षण, मीटर रीडिंग कार्य तथा बिल वितरण के कार्य आऊटसोर्स एजेन्सी के श्रमिकों के माध्यम से कराया जा रहा है। आऊटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उक्त कार्य कर रहे संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रहती है, जिनके संज्ञान में आने के बावजूद भी आऊटसोर्स एजेन्सी द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है। इससे कार्य की गुणवत्ता एवं कारपोरेशन की छवि पर असर पड़ता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी डिस्काम में विद्युत उपकेन्द्रों का परिचलन, लाइनों का अनुरक्षण, मीटर रीडिंग कार्य तथा बिल वितरण के कार्य हेतु अनुबंधित आऊटसोर्स एजेन्सी के श्रमिकों के सम्बन्ध में निम्नवत् आदेश दिये जाते है :–

आऊसोर्स एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा श्रमिकों के कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण किया जाये तथा ऐसे श्रमिकों को चिन्हित किया जाये जो कर्तव्य पालन में शिथिलता यथा–

- उपकेन्द्रो पर आने वाली शिकायतों को नियमानुसार रजिस्टर में अंकित न करना, शिकायतों का निराकरण कराने में रूचि न लेना व देर से निस्तारण कराना, रजिस्टर का रख–रखाव न रखना, सबस्टेशन पर शराब आदि का सेवन करना, ग्रुप बनाकर जुआ / ताश आदि जैसे कृत्य करने पर उन्हें संविदा से हटाने हेतु आऊटसोर्स एजेन्सी की निर्देशित किया जाये।
- लाइनों का अनुरक्षण में लगाये गये आऊसोर्स श्रमिकों द्वारा विद्युत व्यवधान / फाल्ट की शिकायत निर्धारित समयावधि में दूर न करने, फाल्ट ठीक करने हेतु नागरिकों से धन उगाही करने आदि शिकायते प्राप्त होने पर ऐसे आऊटसोर्स श्रमिकों को तत्काल हटाये जाने हेतु आऊटसोर्स एजेन्सी को निर्देशित किया जाये।
- आऊटसोर्स श्रमिकों द्वारा कटिया कनेक्शन लगाये जाने में संलिप्तता पाये जाने पर कार्य से हटा दिया जाये।
- मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण का कार्य महत्वपूर्ण है। आऊटसोर्स एजेन्सी के श्रमिक द्वारा मीटर रीडिंग कार्यो में अनियमितता जैसे–मीटर की रीडिंग को कम करने, बिल वितरण न करने अथवा मीटर रीडिंग के सापेक्ष बिल वितरण न करने जैसी अनियमितता पाये जाने पर आऊटसोर्स श्रमिक को तत्काल कार्य से हटा दिया जाये।
- हटाये गये आउटसोर्स श्रमिकों को संविदा पोर्टल पर सूचीबद्ध भी कर दिया जाये ताकि उनसे भविष्य में कार्य न लिया जाय।

- उक्त के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता आऊटसोर्स एजेन्सी के श्रमिकों द्वारा किये जा रहे कार्यो पर नजर रखेंगे तथा किसी श्रमिक द्वारा गलत कार्यो पर संलिप्तता पाये जाने अथवा कार्य के प्रति लापरवाही पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता को रिपोर्ट करेंगे तथा अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित आऊटसोर्स एजेन्सी को सूचित करते हुये उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अर्पणा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–693–औ0सं0/2019, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(कारपोरेट प्लानिंग)/ (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव (जनशक्ति) एवं सदस्य, एच0आर0 सेल, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0सेल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को संज्ञानित कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराये।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।

Aparna . U

(अर्पणा यू0)
प्रबन्ध निदेशक